



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939

No. 700]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सं. 22/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1023(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—
 - नियम 3 के उप-नियम (4) में, "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ;
 - नियम 17 में, 22 जून, 2017 से, उप-नियम (2) में, "उक्त प्ररूप" शब्दों के पश्चात् "या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
 - नियम 40 में, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आयुक्त द्वारा बड़ाई जा सकेगी, इस आशय की प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा करेगा कि वह पूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है :

परंतु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्य क्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”;

- (iv) नियम 44 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“44क स्वर्ण डोरे बार की बाबत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यय को उलटने की रीति.— अग्रणीत सेनवेट प्रत्यय से सम्बन्धित धारा 140 के उपबंधों के निबंधनानुसार लिए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में केन्द्रीय कर का प्रत्यय, जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उद्धृता सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के कारण प्रोद्भूत हुआ था, जिसका संदाय 1 जुलाई, 2017 को धारित स्वर्ण डोरे बार के स्टॉक पर या ऐसे आयातित स्वर्ण डोरे बार से बनाए गए स्वर्ण या स्वर्ण आभूषण 1 जुलाई, 2017 को स्टॉक में थे, में अन्तर्विष्ट स्वर्ण डोरे बार के आयात के समय किया गया था, ऐसे प्रत्यय का एक बटा छह तक निर्बंधित किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का पांच बटा छह ऐसे स्वर्ण डोरे बार या स्वर्ण या उससे बनाए गए स्वर्ण आभूषण के प्रदाय के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से विकलित किया जाएगा और जहां ऐसा प्रदाय पहले से ही किया गया है, वहां ऐसा विकलन इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होगा।”

- (v) नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 से उप-नियम (5) में, “विनिर्दिष्ट करता है” शब्दों के स्थान पर “ऐसी रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके अध्यक्षीन” शब्द रखे जाएंगे ;

- (vi) नियम 87 में,—

- (क) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु सामान्य पोर्टल सृजित किया गया प्ररूप जीएसटी, पीएमटी-06 में चालान पंद्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड की संदाय प्रणाली अर्थात् बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली के माध्यम से भी ऐसा कर सकेगा।”;

- (ख) उप-नियम 3 में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवा का प्रदाय करने वाला व्यक्ति बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से विश्वव्यापी इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार संदाय नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण के माध्यम से उप-नियम (2) के अधीन भी निक्षेप कर सकेगा।”;

- (vii) नियम 103 के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“103. सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।”;

- (viii) ‘रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने सम्बन्धी अनुदेश’ शीर्ष के अधीन “प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, क्रम संख्या 15 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“16. प्रदायकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सरकारी विभाग बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।”;

- (ix) 22 जून, 2017 से "प्ररूप जीएसटी आरईजी-13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 13

[नियम 17 देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -

जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई का स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है]	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाइयों को लागू नहीं होता है]	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यक्ति
2.	देश			
2क	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश (यदि लागू हो)	पत्र संख्या	तारीख	
3.	अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना संख्या	तारीख	
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल संख्या		
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/ गली		
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	

	स्थायी लेखा संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है]		आधार संख्या [अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों को लागू नहीं होता है]	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल संख्या	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	<p><i>अपलोड किए गए दस्तावेज</i></p> <p><i>प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, को अपलोड किया जाएगा।</i></p> <p><i>या</i></p> <p><i>समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा भी है, अपलोड किया जाएगा और इसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को सूचित और आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक किया जाएगा।</i></p>			
11.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं सत्यनिष्ठा से यहा अभिपुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>			

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान:

समुचित अधिकारी का नाम:

तारीख:

पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है

- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के व्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के व्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए।
- स्थायी लेखा संख्यांक/आधार अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (9) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट इकाईयों के लिए लागू नहीं होगा।

(x) 1 जुलाई, 2017 से; प्ररूप जीएसटी-टीआरएएन-1 के क्र. सं. 7 में,—

- मद (क) में, "और 140(6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "140(6) और 140(7)" अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।
- मद (ख) में,—
 - "धारा 140(5)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "और धारा 140(7)" शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
 - स्तम्भ शीर्ष 1 के स्थान पर, "प्रदायकर्ता या इनपुट सेवा वितरक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक" स्तम्भ शीर्ष रखे जाएंगे ;
 - स्तम्भ 8 के शीर्ष में, "पात्र शुल्कों और करों" शब्दों के पश्चात् "(केन्द्रीय कर)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जो सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 27 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार उनमें अधिसूचना सं. 17/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 27 जुलाई, 2017 द्वारा संशोधन किया गया जो सा.का.नि. सं. 965(अ), तारीख 21 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2017

No. 22/2017-Central Tax

G.S.R. 1023(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,—
- in rule 3, in sub-rule (4), for the words "sixty days", the words "ninety days" shall be substituted;
 - in rule 17, with effect from the 22nd June, 2017, in sub-rule (2), after the words, "said form", the words "or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India" shall be inserted;
 - in rule 40, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:—

"(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18, or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf, shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”;

(iv) after rule 44, the following rule shall be inserted, namely:—

“44A. Manner of reversal of credit of Additional duty of Customs in respect of Gold dore bar.—*The credit of Central tax in the electronic credit ledger taken in terms of the provisions of section 140 relating to the CENVAT Credit carried forward which had accrued on account of payment of the additional duty of customs levied under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), paid at the time of importation of gold dore bar, on the stock of gold dore bar held on the 1st day of July, 2017 or contained in gold or gold jewellery held in stock on the 1st day of July, 2017 made out of such imported gold dore bar, shall be restricted to one-sixth of such credit and five-sixth of such credit shall be debited from the electronic credit ledger at the time of supply of such gold dore bar or the gold or the gold jewellery made therefrom and where such supply has already been made, such debit shall be within one week from the date of commencement of these Rules.”;*

(v) in rule 61, with effect from the 1st day of July, 2017, in sub-rule (5), for the words “specify that”, the words “specify the manner and conditions subject to which the” shall be substituted;

(vi) in rule 87,—

(a) in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:—

“Provided that the challan in FORM GST PMT-06 generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also do so through the Board’s payment system namely, Electronic Accounting System in Excise and Service Tax from the date to be notified by the Board.”;

(b) in sub-rule (3), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) may also make the deposit under sub-rule (2) through international money transfer through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication payment network, from the date to be notified by the Board.”;

(vii) for rule 103, with effect from the 1st day of July, 2017, the following rule shall be substituted, namely:—

“103. The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.”;

(viii) in “FORM GST REG-01” under the heading ‘Instructions for submission of Application for Registration’, after Serial No. 15, the following Serial No. shall be inserted, namely:—

“16. Government departments applying for registration as suppliers may not furnish Bank Account details.”;

(ix) With effect from the 22nd June, 2017, for “FORM GST REG-13”, the following FORM shall be substituted, namely:—

“FORM GST REG-13

[See Rule 17]

Application/Form for grant of Unique Identity Number (UIN) to UN Bodies/ Embassies /others

State /UT –

District –

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number (PAN) of entity [Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act]	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	PAN of Authorised Signatory [Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act]	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body <input type="radio"/>	Embassy <input type="radio"/>	Other Person <input type="radio"/>
2.	Country			
2A.	Ministry of External Affairs, Government of India' Recommendation (if applicable)	Letter No.	Date	
3.	Notification details	Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	City/Town/Village		District	
	Block/Taluka			
	Latitude		Longitude	
	State		PIN Code	
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	
7.	Details of Authorized Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	PAN [Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act]		Aadhaar Number [Not applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act]	
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
	Residential Address			
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
8.	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	Documents Uploaded			
	<p><i>The authorized person who is in possession of the documentary evidence shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the entity.</i></p> <p>Or</p> <p><i>The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorizing the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the UIN generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.</i></p>			

11.	<p>Verification</p> <p><i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i></p>
-----	--

Place: (Signature)

Date: Name of Authorized Person:

Or

(Signature)

Place: Name of Proper Officer:

Date: Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through Common Portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the Common Portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorized by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the “Authorised Signatory details” in the application.
- PAN / Aadhaar will not be applicable for entities specified in clause (a) of sub-section (9) of section 25 of the Act.”;

(x) With effect from the 1st day of July, 2017, in FORM GST TRAN-1 in Serial No. 7,—

(i) in item (a), for the word, figures and brackets “and 140 (6)”, the figures, brackets and word “, 140 (6) and 140 (7)” shall be substituted;

(ii) in item (b),—

- (a) after the word, figures and brackets, “section 140 (5)”, the words, figures and brackets “and section 140(7)” shall be inserted;
- (b) for column heading 1, the column heading “registration number of the supplier or input service distributor” shall be substituted;
- (c) in the heading of column 8, after the words “Eligible duties and taxes”, the brackets and words “(central taxes)” shall be inserted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* G.S.R number 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 17/2017-Central Tax, dated the 27th July, 2017, published *vide* G.S.R number 965 (E) dated the 27th July, 2017.